कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा

दिनांक 15.06.2026

::सूचना::

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाऐं) विनियम, 2010 के विनियम 8 के तहत अपनी सक्षम विधिक सेवाएं देने के लिए अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित करने हेतु विज्ञप्ति क्रमांक एफ 2 (137)/2025/रालसा/पै. अधि./DS-I/373 दिनांक 27.05.2026 जारी की गई थी। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक एफ 2 (137)/2025/रालसा/पै. अधि. /DS-I/15847–15890 दिनांक 13.06.2026 के निर्देशानुसार अधिवक्तागण का नवीन पैनल गठित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 15.06.2026 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर अंतिम तिथि 10.07.2026 को सायं 5:00 तक कर दी गई है।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा।

क्रमांक :– जिविसेप्रा/2026/ 4741–4750 दिनांक 15.06.26

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही निम्न को प्रेषित है:–

1. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, लालसोट, सिकराय, बांदीकुई एवं महवा।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर दौसा को समस्त राजस्व न्यायालयों को उनके नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सूचित करने हेतु।
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच, दौसा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं बार को सूचित करने हेतु।
4. श्रीमान् अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, दौसा को नाटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं समस्त अधिवक्ताओं को सूचित करने हेतु।
5. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, दौसा को जिला न्यायालय की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
7. संबंधित पत्रावली।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दौसा

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line: 15100/9928900900
E-Mail: rslsajp@gmail.com, rs-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in/

क्रमांकः–एफ 2(137)/2025/रालसा/पै.अधि./DS-I/15847-15899 दिनांक :– 13/06/2026

प्रेषक :–

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषितः

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

अध्यक्ष,
तालुका विधिक सेवा समिति,
समस्त राजस्थान।

विषयः– अधिवक्तागण के नवीन पैनल के गठन हेतु चयन की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत।
संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक एफ 2(137)/2025/रालसा/ पै.अधि./DS-I/13661 13662 दिनांक 27.05.2026।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर स्थित न्यायालयों, मंच एवं अधिकरणों में विधिक सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु पैनल अधिवक्ताओं के चयन के लिए विधि व्यवसायियों/अधिवक्ताओं से आवेदन–पत्र आमन्त्रित की अंतिम तिथि 15.06.2026 निर्धारित की गई थी, को निर्देशानुसार दिनांक 10.07.2026 को सायं 5:00 तक के लिए एवं जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने की अंतिम दिनांक 18.07.2026 तक बढाई जाती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिनांक के पश्चात अंतिम तिथि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जावेगी।

चयनित पैनल अधिवक्तागण के नाम की सूची, उनके समस्त दस्तावेज एवं निर्णयों/आदेशों की प्रतियां सहित निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 24.07.2026 को सायं 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रेषित करावें, ताकि अग्रिम कार्यवाही के लिए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

नवीन पैनल तैयार करते समय अधिवक्ता की क्षमता, सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता एवं अनुभव का विशेष ध्यान रखा जाये।

आज्ञा से

(हरि ओम अत्री)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर